

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: जीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2025/2506

दिनांक : 28/02/2025

प्रति,

प्राचार्य

समस्त स्वशासी महाविद्यालय

सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय:- शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि के सम्बंध में।

संदर्भ:- (1) म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 503/175/रासेयो/2024/38 भोपाल दिनांक 21.05.2024  
(2) शारीरिक शिक्षा विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/शा.शि./जी.वि.ग्वा./2024/4921 ग्वालियर दिनांक 04.09.2024

महोदय,

म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क 25/- ₹0 प्रति माह की दर से दस माह के लिये ₹0 250/- लिये जायेंगे। इस राशि में से 150/- ₹0 महाविद्यालय के पास रहेंगे एवं 100/- ₹0 विश्वविद्यालय को भेजे जायेंगे। इस सम्बंध में जीवाजी विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

वर्ष 2024-25 के सेमेस्टर परीक्षाओं एवं वार्षिक परीक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय को 100/- ₹0 प्रति छात्र जमा कराया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रति छात्र 100/- ₹0 विश्वविद्यालय के खाता क्रमांक 1813358364, आईएफएससी :CBIN 0283189 सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर ग्वालियर में महाविद्यालय के प्राचार्य के खाते से आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क की शेष राशि जमा कराये जाने के पश्चात लेखा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग से नो ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) दिनांक 03.03.2025 तक प्राप्त करें। नो ड्यूज प्राप्त करते समय बैंक खाते का स्टेटमेंट, प्राचार्य का पत्र छात्र संख्या सहित तथा आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित राशि की रसीद प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने पर उत्पन्न अप्रिय स्थिति के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न : उपरोक्त संदर्भित पत्र

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. माननीय कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

A/C no - 1813358364

IFSC code - CBSN0283189

प्रभारी परीक्षा नियंत्रक



मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 21/05/2024

क्रमांक 503/175 /रासेयो/2024/38,

प्रति,

1. अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.।
2. कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.

विषय:- शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:- अवसरसचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 248/सी.सी./67/22/38, दिनांक 08.04.2024.

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101 वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 में लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2024-25 से विद्यार्थियों से शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क रु. 25/- प्रति विद्यार्थी की दर से 10 माह के लिए रु. 250/- लिए जाए। इस राशि में से रु. 150/- महाविद्यालय के पास रहेंगे तथा रु. 100/- संबंधित विश्वविद्यालय के पास भेजे जाएंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो।

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 21/05/2024

पृ. क्र. 504/175 /रासेयो/2024/38

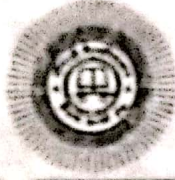
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.।
6. संचालक, शारीरिक शिक्षा समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.।
7. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आर) सी.सी.सेल, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION  
JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR



Ph. Office: - 0751-2442811

Sports-489(9)  
04/01/24

दिनांक: 04/01/24

क्रमांक/सा.शि./जी.वि.ग./2024-25/4921

प्रति

सम्बन्ध

समस्त शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्थान,  
सम्बन्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय: समन्वय समिति की 101वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 में शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।  
संदर्भ: समन्वय समिति की 101वीं बैठक के निर्णय के विषय क्रमांक 17।

महोदय/महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि समन्वय समिति की 101वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 के विषय क्रमांक 17 के निर्णय के परिणाम में शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि की गई है जिसमें पूर्व प्राक्धान रुपये 180/- (रुपये 18/- प्रति छात्र 10 माह की दर से 180/-) के लिये था जो कि सत्र 2024-25 में रुपये 180/- के स्थान पर रुपये 250/- (रुपये 25/- प्रति छात्र 10 माह की दर से 250/-) किया गया है इस राशि में से रुपये 150/- महाविद्यालय के पास तथा रुपये 100/- विश्वविद्यालय का अंश होगा।

अतः आपसे निवेदन है कि आपके महाविद्यालय में उपरोक्त शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क सत्र 2024-25 से लागू करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

निदेशक

शारीरिक शिक्षा विभाग  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति एवं कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

02. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

03. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, मोतीमहल, ग्वालियर।

04. इन्चार्ज आई.टी. सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनाएं।

05. पत्रावली।

निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग

